माननीय आई. एस. तिवाना और जी. आर. *मजीठिया, जे. जे. के समक्ष*

रोहताश सिंह खरब और अन्य. -याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, -उत्तरदाता।

Civil Writ Petition No. 9385 *of* 1987

31 मई, 1991।

पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, *1930- आर* एल. *5,* 6, 9 और 17-रिक्तियों को भरना- राज्य *सरकार को वर्ष 1982 के लिए सेवा में 8 रिक्तियों को* भरने *के लिए अनुरोध भेजना-1984 में* आयोजित *पदों की विज्ञापित और लिखित परीक्षा-सितंबर, 1985 में घोषित अंतिम परिणाम-वर्ष 1985 के* लिए *उत्पन्न होने वाली और रिक्तियां-अक्टूबर,* 1985 *में आयोग को भेजी गई आवश्यकता-1984 बैच के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों द्वारा ऐसे पदों पर* दावा-आयोजित, *अगले* वर्ष *के लिए विज्ञापित पदों के लिए दावा करने के लिए उन्हें कोई न्यायिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार प्राप्त नहीं होता है-ऐसे नियमों का उद्देश्य-परिभाषित।*

यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक उम्मीदवार जिसे किसी विशेष वर्ष के लिए रिक्तियों को भरने के लिए आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप तैयार की गई योग्यता सूची में रखा गया है, *वह वास्तव* में उन रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति के लिए विचार करने का हकदार नहीं होगा जिन्हें बाद के वर्ष में आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप भरा जाना था।जिस उद्देश्य के लिए ये नियम बनाए गए थे, वह सेवा में भर्ती के लिए मेधावी उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है।प्रतियोगी परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जानी है।एक उम्मीदवार जो किसी विशेष वर्ष में किसी भी कारण से अयोग्य था, वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पात्र हो सकता है।

सेवा के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के लिए अगले वर्ष परीक्षा आयोजित की जाएगी।शुद्ध परिणाम यह होगा कि प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता उस वर्ष निर्धारित की जानी है जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है।इन नियमों की कोई भी अन्य व्याख्या अतार्किक, अनुचित, अन्यायपूर्ण और अवैध होगी।

(पैरा 7)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता परमादेश रिट का दावा करने के कानूनी अधिकार की झलक *दिखानी* चाहिए।कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार के साथ-साथ कानूनी रूप से संरक्षित अधिकार होना चाहिए, इससे पहले कि कोई कानूनी शिकायत से पीड़ित *व्यक्ति* परमादेश अनुरोध कर सके।एक व्यक्ति को केवल तभी व्यथित कहा जा सकता है जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कानूनी अधिकार से वंचित किया जाता है, जिसका कुछ करने का कानूनी कर्तव्य है या कुछ करने प्रविरत रहना है।तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में समर्थ नहीं हुए हैं कि उन्हें न्यायिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार मिला है।इसलिए, रिट याचिका किसी भी योग्यता से रहित है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है लेकिन लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है।

(पैरा 22 &23)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के *तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि सरशियोरेराई, मैंडमस या* किसी *उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति* में एक रिटः–

(i) प्रतिवादी को एच. सी. एस. की शेष रिक्तियों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने का निर्देश देना। (कार्यकारी शाखा), जारी की जाए;

(ii) याचिकाकर्ताओं को राहत देने वाला कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायालय उचित समझे, भी जारी किया जाए।

(iii) इस माननीय न्यायालय के प्रकार के अवलोकन के लिए रिक्तियों और मांग के संबंध में प्रतिवादी का पूरा रिकॉर्ड।

(iv) अनुलग्नक की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करना और प्रतिवादी को उपरोक्त नोटिस जारी करना कृपया समाप्त किया जा सकता है।

(v) *प्रतिवादी को निर्देश देना कि रिट याचिका के* अंतिम *निर्णय तक इन 20 रिक्तियों को न भरा जाए या वैकल्पिक रूप से रिक्तियों को रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक याचिकाकर्ता के लिए आरक्षित किया जाए।*

(vi) *याचिका का खर्च याचिकाकर्ताओं को दिया जाए।*

एच. एल. सिब्बल वरिष्ठ अधिवक्ता, जगदीश सिंह केहर अधिवक्ता याचिकाकर्ता अपीलकर्ता *संख्या 3 के लिए*

एस. एन. सिंगला, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता संख्या* 2,4 और 5 के लिए;

एस. सी. मोहंता, ए. जी. हरियाणा, एल. पी. सूद डी. *ए. जी* के साथ *.राज्य*

के लिए।

जे. एल. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजय लांबा, अधिवक्ता के साथ, *बहस के* समय प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

निर्णय

जी. *आर. मजीठिया, जे.*

यह निर्णय C.W.P. No. 9385 of 1987 और संबंधित रिट याचिकाओं (. C.W.P. Nos. 1750, 9258 & 9567 of 1987 and 227, 1736, 3446 and 6161 of 1988) का निपटारा करता है।सुनवाई के समय, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने बार में कहा कि C.W.P. No. 9385 of 1987 में निर्णय संबंधित रिट याचिकाओं के भाग्य का फैसला करेगा।

(2) C.W.P. No. 9385 of 1987 में याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी को वर्ष 1984 में आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की योग्यता सूची के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के पदों पर नियुक्त करने का आदेश देने की मांग की है।

(3) C.W.P. No. 9385 of 1987 में अभिवचनों से प्रासंगिक तथ्यों का

संदर्भ दिया गया हैः–

(4) हरियाणा सरकार (संक्षेप में, राज्य) ने वर्ष 1982 के लिए बारह रिक्तियों को भरने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) (संक्षेप में 'सेवा') में भर्ती करने का निर्णय लिया!पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 1930 (संक्षेप में, नियम) के नियम 17 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से सीधी भर्ती द्वारा आठ रिक्तियों और भर्ती के अन्य स्रोतों से चार रिक्तियों को भरा जाना था।राज्य ने रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के लिए 18 जनवरी, 1983 को हरियाणा लोक सेवा आयोग (संक्षेप में, आयोग) को अनुरोध भेजा।आयोग ने 13 फरवरी, 1984 को निम्नलिखित विज्ञापन प्रकाशित कियाः–

"विज्ञापन संख्या 9
उम्मीदवारों के लिए निर्देश और जानकारी

प्रतिस्पर्धी

1. पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 1930 (समय-समय पर संशोधित) में निहित नियमों के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा जून, 1984 में चंडीगढ़ और हरियाणा में कहीं भी आयोजित की जाएगी।इनके लिए परिशिष्ट 1 में निहित परीक्षा का पाठ्यक्रमनियम जोड़े गए हैं और परीक्षा इस पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी।

पद/सेवा का नाम.	*वेतन का पैमाना*
हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) -	र980 -40-1,100-50-1,400 ई. बी.-60-1,700-75-1,850।

(ii) उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी।

(iii) सहायक पंजीयक, को-वाई सहकारी समितियाँ। कृपया नीचे I और II देखें।

(iv) 'ए' श्रेणी के तहसीलदार (प्रशिक्षु) 800-30-890/940-40-1, 100-50-1,600।

उम्मीदवारी (प्रशिक्षु) के दौरान

उम्मीदवारों को ऐसे वेतन की अनुमति दी जाएगी

जिसकी सरकार द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

(v) सहायक उत्पाद शुल्क और - आयकर अधिकारी। कृपया नीचे I और II देखें।

(vi) सहायक रोज़गार अधिकारी. 750–30–900/40–1,100 50-1450

ध्यान दें: प्रत्येक पद के लिए वेतनमान ऐसा होगा जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सके।परीक्षा में प्रवेश के लिए स्वीकार किए गए उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा कि उन्हें किस स्थान पर, किस समय और किस तारीख को उपस्थित होना चाहिए।

"परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग से प्रवेश का प्रमाण पत्र न हो।

2. परीक्षा के परिणाम पर जिन रिक्तियों को भरे जाने की संभावना है, उनकी संख्या नीचे दी गई हैः–

श्रेणी नं.	.	सामान्य	एस.सी हरियाणा	बी. सी. हरियाणा	सैन्य अधिकारी
((i)	हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा)।	6	1	1	1
(ii)	उत्पाद शुल्क और कराधान	कृपया नीचे. I और II			
(iii)	अधिकारी।	देखें			
(iv)	सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ "।				
(v)	ए श्रेणी, तहसीलदार (प्रशिक्षु)	4		1	1
(vi)	सहायक आबकारी और कराधान. अधिकारी।	कृपया नीचे. I और II देखें			
	अस्स्टेटरोजगार अधिकारी	1			

नोट-1:'सहायक पंजीयक, सहकारी समितियों और उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी/सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी के रिक्त पदों के उपलब्ध होने की संभावना है और इस कारण से उम्मीदवार इन पदों के लिए विकल्प दे सकते हैं।

नोट-2:च या आरक्षित श्रेणियां जहां वर्तमान में पदों का विज्ञापन नहीं किया जा रहा है, वहां सरकार से पदों की मांग का हर अधिकार है।इसलिए, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार भी उन पदों के लिए अपने विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

प्रत्येक श्रेणी के लिए पदों की संख्या किसी भी हद तक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है।

परीक्षा में सफलता नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है जब तक कि सरकार ऐसी जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाती है जिसे आवश्यक माना जा सकता है कि उम्मीदवार नियुक्ति के लिए हर तरह से उपयुक्त है।"

आयोग ने 9 जुलाई, 1984 को लिखित परीक्षा आयोजित की।लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए जाने के योग्य उम्मीदवारों का परिणाम 20 जुलाई, *1985 को* द ट्रिब्यून में प्रकाशित किया गया था।अंतिम योग्यता सूची 19 सितंबर, 1985 को घोषित की गई थी।आयोग ने 9 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की, जिनमें से 3 सेवा में नियुक्ति के लिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए थे, 6 उम्मीदवार जिनमें से 2 'ए' श्रेणी के तहसीलदारों के लिए आरक्षित श्रेणी के थे और 27 उम्मीदवार सहायक रोजगार अधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए थे।द. राज्य सरकार ने 1984 के दौरान सेवा में रिक्तियों की स्थिति की समीक्षा की और निर्णय लिया कि दिसंबर, 1985 तक अनुमानित 16 रिक्तियों को वर्ष 1985 के लिए भर्ती द्वारा से भरा जाएगा, जिनमें से 11 रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना था।राज्य सरकार ने वर्ष 1985 के लिए सेवा में 11 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के लिए अक्टूबर, 1985 में आयोग को अनुरोध भेजा।आयोग ने अगस्त, 1986 में इन रिक्तियों का विज्ञापन किया था।याचिकाकर्ताओं का एकमात्र दावा है कि सेवा में इन 11 रिक्तियों को 1984 में आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की योग्यता सूची से भरा जाए।

(5) राज्य और आयोग की ओर से अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए हैं।आयोग ने कहा कि नियमों के नियम 9 के अनुसार, प्रतियोगी परीक्षा प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में या उसके आसपास आयोजित की जानी है, जिसका उद्देश्य हरियाणा के राज्यपाल द्वारा निर्धारित सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा द्वारा चयन करना है।आयु और पात्रता की अन्य शर्तें उस वर्ष की पहली जनवरी को निर्धारित की जानी हैं जिसमें रिक्तियों का विज्ञापन किया जाना है।कभी-कभी प्रशासनिक बाधाओं के कारण सरकार द्वारा हर साल रिक्तियों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है और उस मामले में प्रतियोगी परीक्षा सरकार

से अनुरोध **प्राप्त** होने पर तदनुसार आयोजित की जाती है।सूचित रिक्तियां किसी विशेष वर्ष या उस वर्ष से पहले के वर्ष से संबंधित हैं जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है।नियमों के नियम 9 में संभावित रूप से होने वाली रिक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की परिकल्पना नहीं की गई है क्योंकि जिस वर्ष 1 जनवरी को पदों का विज्ञापन किया जाता है, उस वर्ष के पात्र उम्मीदवार की आयु बाद के वर्ष में होने वाली रिक्तियों के लिए अधिक होने की संभावना है और वह भर्ती **के** लिए पात्र नहीं होगा।यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता 1982 की रिक्तियों के लिए पात्र थे और उनकी पात्रता 1 जनवरी को निर्धारित की गई थी। 1984, यानी वह वर्ष जिसमें पदों का विज्ञापन किया गया था।सेवा में 11 रिक्तियों का विज्ञापन 1986 में वर्ष 1985 से संबंधित किया गया था।याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1982 की रिक्तियों के लिए आवेदन किया, जिनका विज्ञापन 1984 में किया गया था।इसलिए, 1986 में विज्ञापित वर्ष 1985 की रिक्तियों पर उनका कोई दावा नहीं है।आयोग ने मूल रूप से सहायक रोजगार अधिकारियों की दो रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया था।8 जुलाई, 1985 को लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा से पहले, सरकार-पत्र संख्या 2/20/83-1 आरओजे, दिनांक 16 मार्च के माध्यम *से*/ 1985 में आयोग को सूचित किया गया कि रोजगार विभाग में सहायक रोजगार अधिकारियों की रिक्तियों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जिनमें से 19 पद सामान्य श्रेणी के लिए, 3 अनुसूचित जाति के लिए, 4 पिछड़े वर्गों के लिए और एक **पद** पूर्व सैनिकों के लिए था और यह कि इन रिक्तियों को हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और संबद्ध सेवा परीक्षा, 1982-89 के आधार पर भरा जाए।याचिकाकर्ताओं को सेवा में चयन और नियुक्ति के लिए अनुशंसित नहीं किया जा सका क्योंकि उनकी योग्यता कम थी।

(6) राज्य ने अपने जवाब और अतिरिक्त शपथ पत्र में कहा कि सेवा की 11 रिक्तियां जो वर्ष 1985 से संबंधित परिणाम की घोषणा से पहले अस्तित्व में आई थीं, न कि वर्ष 1984 के लिए।आयोग ने उन रिक्तियों के खिलाफ 9 उम्मीदवारों की सही सिफारिश की।राज्य ने 13 फरवरी, 1991 को अपने शपथ

पत्र में सेवा में रिक्तियों का विवरण दिया।यह स्वीकार किया गया कि वर्ष 1982 के लिए सेवा में 8 रिक्तियां थीं जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना था।राज्य ने 18 जनवरी, 1983 को रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आयोग को सूचित किया।हालाँकि, आयोग ने फरवरी, 1984 में पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए एक वैन्सेंसी को आगे बढ़ाते हुए 9 रिक्तियों का विज्ञापन दिया, जो वर्ष 1980 के लिए पिछली भर्ती में खाली रह गई थी। दिसंबर, 1985 तक सेवा में 16 रिक्तियों का अनुमान लगाया गया था, जिनमें से 11 रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना था और रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के लिए अक्टूबर, 1985 में आयोग को अनुरोध भेजा गया था।वर्ष 1985 के लिए सेवा में भर्ती के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को मार्च, 1989 में नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे, जून, 1989 में राज्य सरकार ने आयोग को वर्ष 1989 के लिए सेवा में 12 रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए अनुरोध भेजा था।

(7) नियमों में, 'सेवा' का अर्थ है हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा)।नियमों के नियम 5 में कहा गया है कि सेवा के सदस्यों की नियुक्ति समय-समय पर हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उन स्वीकृत उम्मीदवारों में से की जाएगी जिनके नाम इन नियमों के अनुसार किसी न किसी में विधिवत दर्ज किए गए हैं।स्वीकृत उम्मीदवारों के रजिस्टरों को नियमों के तहत बनाए रखा जाना है।नियम 6 उन रजिस्टरों से संबंधित है जिन्हें बनाए रखा जाना है।नियम 6 के खंड (सी) में रजिस्टर 'बी' के रखरखाव का प्रावधान है और प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणामस्वरूप उम्मीदवारों के रूप में स्वीकार किए गए व्यक्तियों के नाम उसमें दर्ज किए जाते हैं।नियमों के नियम 9 में प्रावधान है कि हरियाणा के राज्यपाल द्वारा निर्धारित सेवा के लिए जितने उम्मीदवार हों, प्रतिस्पर्धा द्वारा चयन के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में या उसके आसपास एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी।नियम 9 में प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए आवश्यक योग्यता का उल्लेख किया गया है।नियम 11 में प्रावधान है कि इन उम्मीदवारों में से इतनी संख्या में उम्मीदवारों के नामजिन्हें

आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य घोषित किया गया है, उन्हें योग्यता के आदेश में रजिस्टर 'बी' में दर्ज किया जाएगा।नियम 5 में कहा गया है कि राज्यपाल आम तौर पर उन उम्मीदवारों में से सेवा में नियुक्ति करेगा जिनके नाम विभिन्न रजिस्टरों में दर्ज किए गए हैं।हम इस मामले में केवल रजिस्टर 'बी' से संबंधित हैं जिसमें आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पर उम्मीदवारों के रूप में स्वीकार किए गए व्यक्तियों के नाम दर्ज किए जाते हैं।इन नियमों को पढ़ने से संकेत मिलता है कि राज्य प्रत्येक वर्ष सेवा में रिक्तियों की संख्या आयोग को सूचित करेगा।आयोग रजिस्टर 'बी' (सेवा में सीधी भर्ती के लिए) के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा और प्रतियोगी परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों के नाम योग्यता के क्रम में राज्य को रजिस्टर 'बी' में शामिल आदेश के लिए भेजेगा।राज्य रजिस्टर 'बी' से सेवा में नियुक्तियां करेगा।जिस उम्मीदवार को किसी विशेष वर्ष के लिए रिक्तियों को भरने के लिए आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप तैयार की गई योग्यता सूची में रखा गया है, वह बाद के वर्ष में आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप भरी जाने वाली रिक्तियों के *खिलाफ नियुक्ति के* लिए विचार करने का हकदार नहीं होगा।जिस उद्देश्य के लिए ये नियम बनाए गए थे, वह सेवा में भर्ती के लिए मेधावी उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है।प्रतियोगी परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जानी है।एक उम्मीदवार जो किसी विशेष वर्ष में किसी भी कारण से अयोग्य था, वह सेवा के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के लिए अगले वर्ष आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो सकता है।शुद्ध परिणाम यह होगा कि प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता उस वर्ष निर्धारित की जानी है जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है।इन नियमों की कोई भी अन्य व्याख्या अतार्किक, अनुचित, अन्यायपूर्ण और अवैध होगी।

(8) अब याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा बार में की गई प्रस्तुतियों से निपटने के लिए चरण निर्धारित किया गया है और ये हैं:–

(i) आयोग ने नियम 5,9,11 का पालन नहीं किया,

(ii) आयोग ने केवल सेवा में 9 रिक्तियों को भरने के लिए राज्य को सिफारिशें करने में मनमाने ढंग से काम किया।

(iii)उच्चतम न्यायालय द्वारा सेवा में सभी उपलब्ध रिक्तियों को भरने के लिए जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया था;((iy) सरकार के मुख्य सचिव, पंजाब के 11 मार्च, 1960 के पत्र में निहित निर्देश और हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की ओर से 26 मई, 1972 के पत्र में केवल नियमों में खामियों को भरा गया है और उनका पालन किया जाना चाहिए था।

(v) आयोग को परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों के नाम उनकी पसंद के साथ अग्रेषित करने चाहिए थे; और

(vi) आयोग और राज्य न्यायालय में एक ही परीक्षा के लिए अलग-अलग स्टैंड नहीं ले सकते हैं।

और इन प्रस्तुतियों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गयाः–

(1) *जगजीत सिंह* बनाम *पंजाब राज्य*[1]।

(2) *नीलिमा शांगला* बनाम *सियात और हरियाणा* [2]।

(3) *श्री दुर्गाचरण मिश्रा* बनाम *उड़ीसा राज्य और अन्य*[3]।

(4) *प्रेम चंद, नायब तहसीलदार और अन्य* बनाम *हरियाणा राज्य और अन्य* [4]।

(9) हम *प्रस्तुतिकरण* के बारे में क्रमिक रूप से चर्चा करेंगे।

[1] A.I.R. 1978 S.C. 988
[2] 1986(3) S.L.R. 389
[3] A.I.R. 1987 S.C. 2287
[4] 1989(2) S.L.R. 556

(10) *प्रस्तुतिकरण (i):निर्णय के* पहले भाग में नियमों का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है।नियम 5 उन स्वीकृत उम्मीदवारों में से व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है जिनके नाम नियम 6 के तहत बनाए गए रजिस्टर 'बी' में दर्ज किए गए हैं।रजिस्टर 'बी' में प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पर उम्मीदवारों के रूप में स्वीकार किए गए व्यक्तियों के नाम शामिल हैं।नियम 9 में कहा गया है कि रजिस्टर 'बी' के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए वार्षिक रूप से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जानी है।प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता योग्यता का उल्लेख नियमों के नियम 9 के उप-नियम (2) में किया गया है।आयोग सेवा में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को योग्यता के आदेश में चयनित उम्मीदवारों के नाम भेजता है।।राज्यपाल सेवा में रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए रजिस्टर से सेवा में नियुक्ति करता है।याचिकाकर्ता यह नहीं बता सके कि प्रतिवादी ने किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया है।

(11) *प्रस्तुतिकरण* (ii.):राज्य सरकार ने वर्ष 1982 के लिए सेवा में 3 रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के लिए 18 जनवरी, 1983 को आयोग को अनुरोध भेजा।आयोग ने प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए 13 फरवरी, 1984 को समाचार पत्रों में पदों का विज्ञापन दिया और लिखित परीक्षा 9 जुलाई, 1984 को आयोजित की गई।परिणाम 20 जुलाई, 1985 को घोषित किया गया था।आयोग ने केवल वर्ष 1982 से संबंधित रिक्तियों का विज्ञापन किया था।हालाँकि पदों को भरने का विज्ञापन 13 फरवरी, 1984 को सरकारी राजपत्र और प्रेस में प्रकाशित हुआ था, लेकिन यह केवल वर्ष 1982 से संबंधित रिक्तियों को भरने के लिए सीमित था।परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार केवल वर्ष 1982 के लिए रिक्तियों के खिलाफ सेवा में नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र थे।वे यह आग्रह नहीं कर सकते कि वर्ष 1985 से संबंधित रिक्तियों के लिए उन पर विचार किया जाना चाहिए।वर्ष 1982 के लिए रिक्तियों को भरने के लिए 9 जुलाई, 1984 को आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद वर्ष 1985 के लिए पदों को भरने के लिए अनुरोध अक्टूबर 1985 में आयोग को भेजा

गया था।अंतिम परिणाम 19 सितंबर, 1985 को वाइवा वॉस परीक्षण के बाद घोषित किया गया था।यह दूर *से भी* नहीं कहा जा सकता है कि आयोग ने निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं किया।

(12) *प्रस्तुतिकरण* सं. (iii):18 अगस्त, 1985 को याचिका संख्या 11736 और W.P. No. 11737 of 1985 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों इस प्रकार हैं –

> "हम निर्देश देते हैं कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवार उस समय मौजूद वास्तविक रिक्तियों की संख्या का तीन गुना होंगे जब उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।"

शीर्ष अदालत ने केवल यह आदेश दिया कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या उस समय मौजूद वार्षिक रिक्तियों की संख्या से तीन गुना होगी जब उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।आयोग ने एक स्पष्ट रुख अपनाया है कि लिखित परीक्षा के परिणामस्वरूप आयोग द्वारा तैयार की गई अंतिम सूची में 123 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था।सेवा में केवल 9 रिक्तियां थीं।वाइवा वॉयस टेस्ट के लिए *अधिक उम्मीदवारों* को बुलाने से चयन अमान्य नहीं हो जाता है, विशेष रूप से जब यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि चयन करने के लिए जिम्मेदार आयोग निष्पक्षता से काम नहीं ले रहा था।परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि आयोग ने लिखित और मौखिक परीक्षा के परिणामस्वरूप *मेधावी उम्मीदवारों* का चयन किया।शीर्ष न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था जैसा कि सुझाव दिया गया है।अन्यथा भी, सेवा में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की सिफारिश राज्य सरकार की मांग के आलोक में की जानी चाहिए।

(13) *प्रस्तुतिकरण (iv):सरकार के* मुख्य सचिव, पंजाब द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को 11 मार्च, 1960 को जारी पत्र में निहित सरकारी निर्देशों में केवल यह परिकल्पना की गई है कि आयोग योग्यता के क्रम में प्रतियोगियों के नामों को अग्रेषित करते समय सेवा की वरीयता के संबंध में उम्मीदवार द्वारा की

गई पसंद का संकेत देगा और आयोग किसी भी अतिरिक्त रिक्ति को कवर आदेश के लिए प्रत्येक मामले में पांच अतिरिक्त उम्मीदवारों के नाम भी भेजेगा।हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा आयोग के सचिव को 26 मई, 1972 को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि आयोग की सिफारिश प्राप्त होने के छह महीने के भीतर रिक्तियों को आयोग द्वारा तैयार प्रतीक्षा सूची से भरा जाना चाहिए।इन पत्रों और निर्देशों को संयुक्त रूप से पढ़ने से संकेत मिलता **है** कि आयोग को पांच अतिरिक्त उम्मीदवारों के नाम अग्रेषित करने होंगे, जिन्हें आयोग से चयनित उम्मीदवारों की सिफारिश प्राप्त होने के छह महीने के भीतर उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची के रूप में माना जाएगा।इन पत्रों में उल्लिखित रिक्तियां केवल उन अप्रत्याशित रिक्तियों को संदर्भित करेंगी जो राज्य सरकार द्वारा अनुरोध भेजे जाने पर प्रत्याशित नहीं थीं।ये रिक्तियां आने वाले वर्षों से संबंधित नहीं हैं जिनमें ये रिक्तियां पैदा होंगी।निर्देशों और नियमों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ना होगा।इन निर्देशों में उम्मीदवारों के पांच अतिरिक्त नामों को उस अप्रत्याशित रिक्ति को भरने **के** लिए अग्रेषित करने का प्रावधान है जो अनुरोध भेजे जाने पर प्रत्याशित नहीं थी या योग्यता सूची में चयनित उम्मीदवार **के** सेवा में शामिल नहीं होने पर उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए।निर्देश नियमों के विपरीत नहीं हैं।ये केवल व्याख्यात्मक हैं।

(14) *प्रस्तुति सं. (v):आयोग* ने उन चयनित उम्मीदवारों के नाम भेजे जिन्हें वर्ष 1982 के लिए सेवा में रिक्तियों को भरने के लिए 9 जुलाई, 1984 को आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप विधिवत चुना गया था।

(15) *प्रस्तुतिकरण (vi):यह प्रस्तुतिकरण,* जांच पर, आधारहीन प्रतीत होता है।गुण-दोष पर लिखित कथन के पैरा 5 में इस प्रकार कहा गया हैः–

> "कि याचिका के पैरा 5 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया गया है कि एचसीएस (कार्यकारी शाखा) की 11 रिक्तियां जो परिणाम की घोषणा से पहले आई थीं उनका अस्तित्व वर्ष 1985 का है न कि वर्ष 1984 का।वर्ष 1984 के लिए एच. सी. एस. (कार्यकारी शाखा) की केवल नौ रिक्तियां थीं।इसलिए हरियाणा लोक सेवा आयोग ने

इन रिक्तियों के खिलाफ 9 उम्मीदवारों की सही सिफारिश की।"

आयोग ने याचिका में दिए गए कथन के जवाब में कहाः–

> "हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने 1984 में विज्ञापित 1982 के पदों के लिए आवेदन किया था और तदनुसार विचार किया गया था।एच. सी. एस. की समग्र परीक्षा। (कार्यकारी शाखा) और अन्य संबद्ध सेवाओं का आयोजन 1984 में किया गया था।पिछली परीक्षा की 1984 की परीक्षा के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है।उनकी योग्यता कम थी और इसलिए, उन्हें एच. सी. एस. के पद के लिए अनुशंसित नहीं किया जा सकता था। (कार्यकारी शाखा) और समग्र परीक्षा में उनकी योग्यता के अनुसार 'ए' श्रेणी के तहसीलदार के पद के लिए सही सिफारिश की गई थी।याचिकाकर्ताओं की एच. सी. एस. के पद के लिए भी सिफारिश नहीं की जा सकी। (कार्यकारी शाखा) और उनकी कम योग्यता के कारण।पिछली परीक्षाओं के साथ परीक्षा 1984-85 के परिणाम और अंकों के प्रतिशत की तुलना करना पूरी तरह से अप्रासंगिक है।प्रत्येक परीक्षा की अपनी विशेषताएँ होती हैं और परिणाम विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे उम्मीदवारों की संख्या, प्रश्न पत्रों की स्थापना, परीक्षाओं की गुणवत्ता और मानक और उस समय उपलब्ध रिक्तियां।"

राज्य की ओर से 13 फरवरी, 1991 का शपथ पत्र दाखिल किया गया था और उसके पैरा 2 में इस प्रकार कहा गया थाः–

> "पैरा 2 के उत्तर में कहा गया है कि राज्य सरकार ने एच. सी. एस. में भर्ती करने का निर्णय लिया था। (उदा. बी. आर.) वर्ष 1982 के लिए 12 रिक्तियों को भरने के लिए, जिनमें से 8 रिक्तियों को रजिस्टर-बी (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से सीधी भर्ती) से और 4 रिक्तियों को पी. सी. एस. के नियम 17 में निहित प्रावधानों के अनुसार भर्ती के अन्य स्रोतों से भरा जाना था। (उदा. बीआर.) नियम।1930.तदनुसार, वर्ष 1982 के लिए रजिस्टर 'बी' (सीधी भर्ती) की 8 रिक्तियों को 18 जनवरी, 1983

को हरियाणा लोक सेवा आयोग को सूचित किया गया था।हालाँकि, आयोग ने फरवरी, 1984 में पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए एक रिक्ति को आगे बढ़ाते हुए 9 रिक्तियों का विज्ञापन दिया, जो वर्ष 1980 के लिए पिछली भर्ती में खाली रह गई थी।"

इन कथनों की सावधानीपूर्वक जांच से संकेत मिलता है कि राज्य ने गलती से लिखित बयान में कहा कि जिन 9 रिक्तियों के लिए 18 जनवरी, 1983 को आयोग को अनुरोध भेजा गया था, **वे** वर्ष 1984 से संबंधित थे।गलती वास्तविक प्रतीत होती *है।राज्य ने* गलती से लिखित बयान में कहा कि 9 रिक्तियां वर्ष 1984 से संबंधित थीं, लेकिन वास्तव में ये वर्ष 1982 से संबंधित थीं, जिसके लिए 18 जनवरी, 1983 को आयोग को अनुरोध भेजा गया था और आयोग ने फरवरी, 1984 में इन पदों का विज्ञापन किया था।आयोग ने 22 मार्च, 1988 के अपने लिखित बयान में सही कहा कि सेवा में 9 रिक्तियां वर्ष 1982 से संबंधित थीं।याचिकाकर्ता राज्य द्वारा अपने लिखित बयान में की गई अनजाने में हुई गलती का अधिक लाभ नहीं उठा सकते हैं।राज्य की ओर से हरियाणा सरकार के राजनीतिक और सेवा विभाग के संयुक्त सचिव श्री चत्तर सिंह, आई. ए. एस. द्वारा 13 फरवरी, 1991 को दायर किए गए बाद के शपथ पत्र में गलती को विधिवत समझाया गया है।

(16) ***जगजीत सिंह*** (ऊपर) *के मामले* में तथ्य यह था कि पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में छह रिक्तियां वर्ष 1971 में हुई थीं, राज्य सरकार ने पंजाब लोक सेवा आयोग से उक्त रिक्तियों को भरने के लिए छह उम्मीदवारों का चयन करने और उनकी सिफारिश करने का अनुरोध किया था।चूंकि परीक्षा आयोजित करने और चयन को पूरा करने में अनुमान से अधिक समय लगा और इस बीच 1972 में पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में छह और रिक्तियां हुईं, राज्य सरकार ने आयोग से अतिरिक्त छह रिक्तियों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर छह और उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करने का अनुरोध किया।आयोग ने पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में भर्ती के लिए अनुसूचित जाति के उपरोक्त तीन व्यक्तियों सहित 12 व्यक्तियों की सिफारिश की।शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता,

जो अनुसूचित जाति का सदस्य था, को अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के बीच योग्यता के आदेश में आदेश संख्या 3 पर रखा गया था और उससे ऊपर दो अन्य उम्मीदवार हरिंदर सिंह खालसा और हंस राज मेघ थे।अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर सेवा में केवल दो पद-वर्ष 1971 और 1972 के लिए एक-एक पद उपलब्ध था, जिसके लिए हरिंदर सिंह खालसा और हंस राज मेघ को नियुक्त किया गया था।शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता को सेवा में भर्ती नहीं किया जा सका।हालाँकि, उन्हें अपने आवेदन में इंगित दूसरी वरीयता के अनुसार सहयोगी सेवाओं में से एक में 'ए' श्रेणी के तहसीलदार के रूप में नियुक्त किया गया था।हरिंदर सिंह खालसा, जो अतिरिक्त सहायक के पद पर नियुक्त हुए थे भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए उनके चयन के परिणामस्वरूप 21 जून, 1974 को या उसके आसपास पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 11 अगस्त, 1974 को उन्हें वहां से मुक्त कर दिया गया।चयन सूची में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के बीच योग्यता के आदेश में अगले उम्मीदवार होने के नाते, शीर्ष अदालत के समक्ष अपीलकर्ता जगजीत सिंह ने राज्य *सरकार को* एक अभ्यावेदन दिया और दावा किया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार हरिंदर सिंह खालसा के इस्तीफे के कारण हुई रिक्ति में परिपत्र पत्र सं. डब्ल्यू. जी.-13 (29)-61/5598, दिनांक 6 मार्च, 1961, ने इन निर्देशों की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि अनुसूचित जातियों/जनजातियों या पिछड़े वर्गों तदर्थ किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता है, तो परिणामी रिक्ति को ब्लॉक प्रणाली के अनुसार भरे जाने वाले रिक्तियों के सामान्य पूल में शामिल नहीं किया *जाना चाहिए,* बल्कि इन जातियों और वर्गों के उम्मीदवारों से तदर्थ आधार पर भरा जाना चाहिए।निर्देशों ने इस मामले को विवाद के दायरे से परे रखते हुए जोर देकर घोषणा की कि सरकार का इरादा यह था कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों द्वारा खाली किए गए पदों को निर्धारित किया जाना चाहिए और अनुसूचित जातियों/जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों को भरा जाना चाहिए।इस प्राधिकरण का तत्काल मामले के तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है।

(7) ***नीलिमा शांगला*** (उपरोक्त) *के मामले* में, याचिकाकर्ता ने सेवा में 54 रिक्तियों को भरने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में चयन और नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप क्रम संख्या 24 पर स्थान दिया।हालाँकि, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने केवल 26 उम्मीदवारों की सिफारिश करने का फैसला किया, और इनमें 17 सामान्य श्रेणी के थे जिनसे याचिकाकर्ता संबंधित थे।न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता का दावा था कि नियुक्ति के लिए सामान्य श्रेणी से योग्यता के आदेश में 32 उम्मीदवारों का चयन किया जाना चाहिए था और सेवा आयोग ने सरकार और उच्च न्यायालय से सभी सफल उम्मीदवारों के नामों को अवैध रूप से रोक दिया था।उन्होंने तर्क दिया कि यदि आयोग द्वारा उपर्युक्त नियमों के नियम 8 और 10 का पालन किया जाता तो उन्हें नियुक्ति के लिए चुना जाता।इन नियमों के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैंः–

> "8. *(भाग सी)* किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि वह मौखिक परीक्षा सहित सभी पेपरों के कुल में कम से कम 55 प्रतिशत अंक *प्राप्त नहीं* करता है।
>
> *(भाग डी)* उच्च न्यायालय रजिस्टर में नामों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आमतौर पर उन रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त नामों को शामिल नहीं किया जाएगा, जिनके परीक्षा के परिणामस्वरूप उम्मीदवारों के चयन की तारीख से दो साल के भीतर होने की संभावना है।
>
> "10 (i) *(भाग C)* परीक्षा का परिणाम हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।"

न्यायालय के समक्ष हरियाणा सरकार का रुख केवल यह था कि "वे अधिक उम्मीदवारों का चयन और नियुक्ति करने में असमर्थ थे क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा उन्हें केवल कुछ उम्मीदवारों के नाम भेजे गए थे।" यह उनका पक्ष नहीं था कि वे सामान्य श्रेणी से 17 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं करना चाहते थे या विज्ञापन किए गए सभी रिक्तियों को भरने का इरादा

नहीं रखते थे।वास्तव में, अभिलेखों से जो पता चला वह यह था कि लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी छोटी सूची सरकार को भेजने से पहले ही उच्च न्यायालय ने सरकार को पहले ही सूचित कर दिया था कि और भी रिक्तियां हैं जिन्हें भरने की आवश्यकता है।सरकार को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि कई योग्य उम्मीदवारों के नाम आयोग द्वारा सरकार से रोक दिए गए थे और उसने सरकार को एक नई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए लिखा था।यह इन तथ्यों के आलोक में था, और नियमों की योजना की जांच करने के बाद उनके अधिपतियों ने देखाः

> "ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सेवा आयोग का कर्तव्य लिखित परीक्षा आयोजित आदेश, मौखिक परीक्षा आयोजित आदेश और *लिखित और* मौखिक परीक्षा के परिणामस्वरूप अर्हता प्राप्त आदेश वाले उम्मीदवारों के बीच अंकों के अनुसार योग्यता के क्रम की व्यवस्था आदेश तक सीमित है।इसके बाद *लोक सेवा* आयोग से राजपत्र में परिणाम प्रकाशित करने और जाहिर तौर पर सरकार को परिणाम उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है।लोक सेवा आयोग को योग्य उम्मीदवारों में से आगे कोई चयन करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, योग्य उम्मीदवारों के नामों को रोके रखने की उम्मीद नहीं है।लोक सेवा आयोग का कर्तव्य योग्यता के आदेश में व्यवस्थित योग्य उम्मीदवारों की पूरी सूची सरकार को उपलब्ध कराना है।इसके बाद सरकार को चयन को सख्ती से उसी आदेश में करना है जिसमें उन्हें आयोग द्वारा परीक्षा के परिणामस्वरूप रखा गया है।चयनित उम्मीदवारों के नाम हैं - फिर उस आदेश में सख्ती से उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाना और उस रजिस्टर में दर्ज किए गए नामों से की गई नियुक्तियां भी उसी आदेश में सख्ती से की जानी चाहिए।बेशक, यह सरकार के लिए खुला है कि वह किसी वैध कारण से सभी रिक्तियों को न भरे।उदाहरण के लिए, सरकार और उच्च न्यायालय यह निर्णय ले सकते हैं कि यद्यपि 55 प्रतिशत न्यूनतम योग्यता अंक हैं, उच्च

> मानकों के हित में, वे किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेंगे जिसने 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हों।इस तरह की कुछ घटना ***हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाह*** में *हुई।"*

इस निष्कर्ष और राज्य सरकार के रुख को ध्यान में रखते हुए कि वह याचिकाकर्ता का चयन और नियुक्ति करने में असमर्थ थी, क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा उन्हें केवल कुछ ही नाम भेजे गए थे, शीर्ष अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता का नाम हरियाणा न्यायिक सेवा में अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों की 1984 की सूची में शामिल करे और इसे नियम 1-भाग डी के तहत बनाए गए उच्च न्यायालय रजिस्टर में शामिल करने के लिए इस न्यायालय को भेजे।इस प्रकार, यह पेटेंट है कि याचिकाकर्ता को हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा नियमों, विशेष रूप से नियम 8 और 10 के उल्लंघन के आलोक में राहत दी गई थी।अन्यथा, न्यायालय ने राय दी कि "यह सरकार के लिए खुला है कि वह किसी वैध कारण से सभी रिक्तियों को न भरे।उदाहरण के लिए, सरकार और उच्च न्यायालय यह निर्णय ले सकते हैं कि यद्यपि उच्च मानकों के हित में न्यूनतम योग्यता अंक 55 प्रतिशत है, लेकिन वे 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेंगे।" सुभाष चंदर मारवाह के मामले (ऊपर) में ठीक यही हुआ *था।उस मामले में, किसी* का कोई उल्लंघन नहीं।नियम शामिल था।तत्काल मामले में भी किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।इस प्राधिकरण का वर्तमान मामले के तथ्यों से भी कोई लेना-देना नहीं है।

(18) ***श्री दुर्गाचरण मिश्रा*** *(उपरोक्त) मामले* में, राज्य न्यायपालिका में परिवीक्षाधीन मुन्सिफ के रूप में नियुक्ति के लिए उड़ीसा लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई उम्मीदवारों की चुनिंदा सूची की वैधता को चुनौती दी गई थी।अधीनस्थ न्यायिक सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन उड़ीसा न्यायिक सेवा नियम, 1964 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।राज्य लोक सेवा आयोग चयन प्राधिकरण है।उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के बाद वाइवा वॉयस टेस्ट द्वारा किया *जाना आवश्यक* है।लिखित परीक्षा में अधिकतम 950 अंक

और वाइवा वॉयस टेस्ट में 200 अंक होते हैं।आयोग ने परिवीक्षाधीन मुन्सिफ के पदों के लिए चयन सूची तैयार करते समय मौखिक परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक 30 प्रतिशत निर्धारित किए और ऐसा *नहीं किया* इस प्रकार निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं करने वाले उम्मीदवारों का चयन करें और लिखित परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन करें।शीर्ष अदालत ने कहा कि बहिष्कार उचित नहीं था जब नियम वाइवा वॉस टेस्ट के लिए न्यूनतम *योग्यता अंक* निर्धारित नहीं करता था।नियम में केवल यह प्रावधान किया गया है कि आयोग लिखित और मौखिक परीक्षा *में प्राप्त* अंकों को जोड़ देगा, चाहे वे मौखिक परीक्षा *में कितने* भी अंक हों और दोनों परीक्षाओं में कुल अंकों के आधार पर, उम्मीदवारों के नाम योग्यता के आदेश में व्यवस्थित किए जाने चाहिए।इस फैसले का तत्काल मामले के तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है।

(19) ***प्रेरणा चंद*** (ऊपर) *के मामले* में, इस न्यायालय ने नियुक्तियों को रद्द नहीं किया, लेकिन निर्देश दिया कि आयोग रिक्तियों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों की सिफारिशें नहीं करेगा।इस फैसले का अनुपात याचिकाकर्ताओं की मदद नहीं करता है।

(20) राज्य के विद्वान वकील ने इस दलील के समर्थन में कि यह न्यायालय किसी लोक सेवा पीठ *पर नियुक्ति के लिए किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश करने के लिए* आयोग *को निर्देश नहीं दे सकता है क्योंकि यह विशिष्ट और विशिष्ट स्थिति वाले एक* स्वतंत्र संस्थान के रूप में इसके कामकाज में हस्तक्षेप के बराबर होगा, इस अदालत के पूर्ण पीठ के फैसले पर, ***उप अधीक्षक (प्रशिक्षण के तहत), जिला जेल नाभा और अन्य बनाम पंजाब राज्य, सरकार के सचिव, पंजाब, गृह विभाग, चंडीगढ़ और अन्य द्वारा से***[5], इस दलील के समर्थन में, कि यह न्यायालय किसी लोक सेवा पीठ पर नियुक्ति के लिए किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश करने के लिए आयोग को निर्देश नहीं दे सकता है।इस फैसले की तत्काल मामले के तथ्यों के साथ कोई प्रासंगिकता

[5] 1989 (4) S.L.R. 403

नहीं है।

(21)याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों में से किसी में भी सार नहीं है और इन्हें अस्वीकार किया जाना चाहिए।याचिकाकर्ताओं पर केवल उस सेवा में चयन और नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता था जिसके लिए आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी और उन्होंने प्रतिस्पर्धा की थी।वे वैध रूप से यह आग्रह नहीं कर सकते कि वर्ष 1985 से संबंधित रिक्तियों के लिए भी उनके दावे पर विचार किया जाना चाहिए, जिसके लिए वर्ष 1982 के लिए सेवा में रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 1984 में आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद राज्य सरकार द्वारा आयोग को अनुरोध भेजा गया था।जैसा कि पहले देखा गया है, नियमों के नियम 9 में कहा गया है कि आयोग को सीधी नियुक्ति द्वारा सेवा में रिक्तियों को भरने के लिए सालाना प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करनी होती है।आयोग उस वर्ष प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने में समर्थ नहीं हो सकता है जिसमें रिक्तियां उत्पन्न हुईं, लेकिन बाद में। इसके बादरिक्तियां उस वर्ष से संबंधित होंगी जिसके लिए उन्हें निर्धारित किया गया था और राज्य सरकार द्वारा आयोग को अनुरोध भेजा गया था।

(22) याचिकाकर्ता को परमादेश रिट का दावा करने के कानूनी अधिकार की झलक दिखानी चाहिए।कानूनी रूप *से* लागू करने योग्य अधिकार के साथ-साथ कानूनी रूप से संरक्षित अधिकार होना चाहिए, इससे पहले कि कोई कानूनी शिकायत से पीड़ित व्यक्ति परमादेश अनुरोध *कर* सके।एक व्यक्ति को केवल तभी व्यथित कहा जा सकता है जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कानूनी अधिकार से वंचित किया जाता है, जिसका कुछ करने का कानूनी कर्तव्य है या कुछ करने प्रविरत रहना है।तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में समर्थ नहीं हुए हैं कि उन्हें न्यायिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार मिला है।

(32) उपरोक्त कारणों से, रिट याचिकाएं किसी भी योग्यता से रहित हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं, लेकिन लागत के लिए बिना किसी आदेश के साथ।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

विनीत कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा।